न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-18RAAJodhpur2023-13RTA223 Shamasudin ors Vs Harshvardhan etc

01. शमसुद्दीन पुत्र श्री हाजी रसूल खां जी. जाति मुसलमान, निवासी आनन्द नगर, ग्राम सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली ।
02. सलीम मोहम्मद पुत्र शमसुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी सम्पत कॉलोनी, ग्राम सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली।
03. हासम खां पुत्र शमसुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी आनन्द नगर, ग्राम सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. हर्षवर्धन मेहता पुत्र स्व० श्री अभिनन्दनमल जी, मेहता जैन, निवासी सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
3. उप पंजीयक अधिकारी झंवर, जिला जोधपुर।
4. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 87/2022 शमसुदीन व अन्य बनाम हर्षवर्धन मेहता इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02 से 04

निर्णय

दिनांक : 06 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 87/2022 अनवान शमसुदीन व अन्य बनाम हर्षवर्धन मेहता इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 06 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 627/6 रकबा 1.9830 हैक्टेयर ग्राम केरला तहसील लूणी के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07 सितंबर 2022 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार लूणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार लूणी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार लूणी द्वारा नियमानुसार तैयार नहीं किया जाकर हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया है। इस बाबत अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित एतराज पेश किया गया था, जिस पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई परन्तु अपीलांट्स के एतराज को नजरअंदाज करते हुए सीधे ही अंतिम डिकी जारी कर दी गई। राजस्व वाद में अविभाजित कृषि जोत के विभाजन हेतु पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव केवल तहसीलदार द्वारा ही तैयार किये जा सकते है, राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के कोई अधिकार ही नहीं है। इतना ही नहीं स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिकी जारी करते समय तहसीलदार को ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश दिये थे, परन्तु उन आदेशो की कोई पालना तहसीलदार द्वारा नहीं की गई। पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक ने जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किये वे किसी काम के ही नहीं है, बल्कि व्यर्थ व्यायाम है। ऐसे विभाजन प्रस्तावों के आधार पर कोई अंतिम डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भी वादीगण को कोई सूचना ही नही दी गई तथा पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक ने केवल प्रतिवादी के कहे अनुसार रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी जिसे वादीगण के विरूद्ध पढ़ा ही नही जा सकता है। तथाकथित विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में नियम 18 से 21 की पूर्ण अवहेलना की है एवं मौकै पर जो पक्षकार जिस अनुसार काबिज है, ठीक उसके विपरित विभाजन प्रस्ताव भेजे गये है। वादी द्वारा इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपत्ति पत्र के साथ मौके के छाया चित्र पत्रावली पर पेश किये गये, परन्तु उन पर कोई विचार ही नही किया गया एवं जल्दबाजी में फैसला कर दिया गया। वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर पेश किये गये एतराज पर सुनवाई की एवं उन पर अलग से कोई निर्णय दिये बिना ही अंतिम डिकी जारी कर दी जो किसी भी सुरत में जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्तियो का विधिसम्मत निस्तारण किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित की गई है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 87/2022 अनवान शमसुदीन व अन्य बनाम हर्षवर्धन मेहता इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निर्णित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार लूणी द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है तथा विभाजन प्रस्ताव में उभय पक्षकारान् को उनके हिस्से के अनुपात में सड़क पर भूमि प्रदान की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार लूणी से नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.10.2022 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार लूणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या एक को सड़क समानांतर उनके हक–हिस्से अनुसार बराबर–बराबर भूमि दी गई है, जिससे उनके हिस्से में रखी गई जोत तक आवागमन सुलभ हो सके।

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार लूणी द्वारा तैयार नहीं किया गया है, इस संबंध में विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार लूणी के काउंटर हस्ताक्षर मौजूद है। केवल तकनीकी आधार पर किसी कानूनन किसी डिक्री को उपांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 87/2022 अनवान शमसुदीन व अन्य बनाम हर्षवर्धन मेहता इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-18RAAJodhpur2023-13RTA223 Shamasudin ors Vs Harshvardhan etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. शमसुद्दीन पुत्र श्री हाजी रसूल खां जी. जाति मुसलमान, निवासी आनन्द नगर, ग्राम सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली । 02. सलीम मोहम्मद पुत्र शमसुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी सम्पत कॉलोनी, ग्राम सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली। 03. हासम खां पुत्र शमसुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी आनन्द नगर, ग्राम सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली।	ब ना म	1. हर्षवर्धन मेहता पुत्र स्व० श्री अभिनन्दनमल मेहता जैन, निवासी सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर तहसील झंवर, जिला जोधपुर। 3. उप पंजीयक अधिकारी झंवर, जिला जोधपुर। 4. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 नवंबर 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि

यह अपील बतारीख 06 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री अमरसिंह चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 87/2022 अनवान शमसुदीन व अन्य बनाम हर्षवर्धन मेहता इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13 दिसंबर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 06 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर